

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3201

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2010/पौष 10, 1932

No. 320]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2010/PAUSA 10, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2010

विषय : वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् (एफएसडीसी) का गठन

फा. सं. 14/33/2010-ईएम.—वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास तथा अंतर विनियामक समन्वय का अनुरक्षण करने के तंत्र का सांस्थानीकरण और सुदृढ़ीकरण करने की दृष्टि से, सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है।

- 2. संघटन : परिषद का संघटन निम्नानुसार होगा:
 - क. केन्द्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।
 - ख. इसके सदस्यों में निम्न शमिल होंगे :
 - (i) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
 - (ii) आर्थिक कार्य विभाग के वित्त सचिव तथा/अथवा सचिव
 - (iii) वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव
 - (iv) वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार
 - (v) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
 - (vi) अध्यक्ष, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण
 - (vii) अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

ग. संयुक्त सचिव (पूंजी बाजार), आर्थिक कार्य विभाग परिषद् के सचिव होंगे

घ. अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं जिसकी उपस्थिति को इसकी किसी भी बैठक के लिए आवश्यक माना जाता है।

- " 3. परिषद् के उत्तरदायित्व : परिषद् निम्न से संबंधित कार्य करेगी :
 - क. वित्तीय स्थिरता
 - ख. वित्तीय क्षेत्रक विकास
 - ग. अंतर विनियामक समन्वयन
 - घ. वित्तीय साक्षरता
 - ङ वित्तीय समावेशन
- च. बड़े वित्तीय संगुटीकरणों के कार्यकरण सहित अर्थव्यवस्था का बृहत् विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण
- छ. वित्तीय कार्य कृत्तिक बल, वित्तीय स्थिरता बोर्ड जैसी वित्तीय क्षेत्रक संस्थाओं तथा वित्त मंत्री द्वारा समय-समय पर यथा-निर्णीत किसी अन्य निकाय के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय साक्षात्कार को समन्वित करना ।
- ज. किसी सदस्य/अध्यक्ष द्वारा संदर्भित तथा परिषद्/अध्यक्ष द्वारा विवेकसम्मत माना गया वित्तीय क्षेत्रक स्थिरता तथा विकास सं संबंधित कोई अन्य मामला।
- परिषद की बैठक का आयोजन अध्यक्ष द्वारा जब और जैसे आवश्यक समझा जाए, किया जाएगा।
- 5. परिषद् की एक उप-सिमिति होगी जिसके प्रमुख भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे। यह उप-सिमिति वित्तीय बाजारों संबंधी विद्यमान उच्च स्तरीय समन्वयन सिमिति का स्थान लेगी।

डॉ. थॉमस मैथ्यू, संयुक्त सचिव

4963 GI/2010

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs) (CAPITAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2010

Subject : Creation of Financial Stability and Development Council (FSDC)

- F. No. 14/33/2010-EM.— With a view to establishing a body to institutionalise and strengthen the mechanism for maintaining financial stability, financial sector development and inter-regulatory coodination, the Government in consultation with the financial sector regulators has decided to set up the Financial Stability and Development Council.
- 2. Composition: The Council shall have the following composition:
- a. The Union Finance Minister shall be the Chairperson.
 - b. Its members shall be:
 - (i) Governor, Reserve Bank of India (RBI),
 - (ii) Finance Secretary and/or Secretary, Department of Economic Affairs (DEA),
 - (iii) Secretary, Department of Financial Services (DFS),
 - (iv) Chief Economic Advisor, Ministry of Finance.
 - (v) Chairman, Securities and Exchange Board of India (SEBI),
 - (vi) Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA),
 - (vii) Chairman Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA),

- c. Joint Secretary (Capital Markets), DEA, will be the Secretary of the Council,
- d. The Chairperson may invite any person whose presence is deemed necessary for any of its meeting (s).
- 3. Responsibility of the Council: The Council shall deal with issues relating to :
 - a Financial stability
 - b Financial sector development
 - c. Inter-regulatory coordination
 - d. Financial literacy
 - e. Financial inclusion
- f. Macro prudential supervision of the economy including the functioning of large financial conglomerates.
- g. Coordinating India's international interface with financial sector bodies like the Financial Action Task Force (FATF), Financial Stability Board (FSB) and any such body as may be decided by the Finance Minister from time to time.
- h. Any other matter relating to the financial sector stability and development referred to by a member/ Chairperson and considered prudent by the Council/ Chairperson.
- 4. The Council would meet as and when deemed necessary by the Chairperson.
- 5. The Council shall have a Sub-committee headed by the Governor, RBI. The Sub-committee will replace the existing High Level Coordination Committee on Financial Markets (HLCCFM).

Dr. THOMAS MATHEW, Jt. Secy.